डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

चैनबाई पुत्री बुद्वा पत्नी परसराम जाति मीना निवासी मंडेरू हाल निवासी दादनपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली

वादीया

बनाम

1. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।
2. हरसहाय पुत्र कन्हैया मीना निवासी अजीजपुर तहसील टोडाभीम –मृतक

प्रतिवादी

दावा बाबत् इस्तकराररहक नाम दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 आर0 टी0 एक्ट0

मु0न0 13/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट मिनजानिब मुदई रूबरू पैरोकार सरकार हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्राथमिक डिकी दी जाती है। कि

अतः ग्राम अजीजपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 361 की आराजीयात ख0न0 1460/0.62, 1461/0.30, 1462/0.06, 1463/0.20 कुल किता 4 कुल रकवा 1.18 है0 मे दर्ज नाम बुद्वा पुत्र हरसहाय हिस्सा 1/2 के स्थान पर बुद्वा पुत्र नत्था हिस्सा 1/2 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निज.....................मुबलिंग...........................बाबत.........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...............अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 05.01.2021 को जारी की गई।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला–करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला		
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

तारीख रजू:– 09.9.2020

मु0न0 97/2020

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

चैनबाई पुत्री बुद्दा पत्नी परसराम जाति मीना निवासी मंडेरू हाल निवासी दादनपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली

वादीया

बनाम

1. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।
2. हरसहाय पुत्र कन्हैया मीना निवासी अजीजपुर तहसील टोडाभीम –मृतक

प्रतिवादी

दावा बाबत् इस्तकरारहक नाम दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 आर0 टी0 एक्ट0

उपस्थिति:– श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट वादी

पैरोकार सरकार

दिनांक 5.1.2021

निर्णय

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि भूमि खसरा नं 1460,1461,1461,1463 कुल किता 4 कुल रकबा 1.18 है0 ग्राम अजीजपुर में स्थित है। हाल रेवेन्यु रिकॉर्ड जमाबंदी में खातेदारी बुद्दा पुत्र हरसाय मीना साकीन देह के नाम हिस्सा 1/2 दर्ज है, जबकि सही नाम बुद्दा पुत्र नत्था है, तथा यही सही वल्दीयत है, भूप्रबंधन से पूर्व इस भूमि की खसरा नं 722 रकबा 4 बीघा 13 विस्वा है, तथा इस भूमि का नामांतकरण भी सन 1963 में बुद्दा पुत्र नत्था के नाम खुला था, लकिन भूप्रबंध विभाग ने गलती से पिता का नाम नत्था के स्थान पर हरसाय दर्ज कर दिया है, जो एक क्लेरीकल मिस्टेक है, बुद्दा पुत्र हरसाय का नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, बुद्दा की मृत्यु हो चुकी है, उसकी कायम मुकाम कानूनी वारिश उसकी पुत्र वादिया चैनबाई है, इसके अलावा अन्य कोई वारिश नहीं है। वादिया ने तहसीलदार टोडाभीम से दिनांक 28.08.2020 को नाम दुरूस्ती के संबंध मे निवेदन किया तब उन्होने कहा की दुरूस्ती का दावा पेश करो, तब ही तुम्हारा नाम दुरूस्त हो सकता है, इसलिये यह वाद–पत्र प्रस्तुत है, और विनाय दावा पैदा हुआ है।

यह कि दावा वादिया खिलाफ प्रतिवादी बावत इस्तकराहक नाम दुरूस्ती डिक्री किया जाकर भूमि खसरा नं 1460,1461,1462,1463 कुल किता 4 कुल रकबा 1.18 हैक्टेयर ग्राम अजीजपुर में स्थित है। हाल रेवेन्यु रिकार्ड जमाबंदी में खातेदारी बुद्दा पुत्र हरसाय मीना जबकि सही नाम बुद्दा पुत्र नत्था है, बुद्दा पुत्र हरसाय मीना के स्थान पर नाम बुद्दा पुत्र नत्था दर्ज किया जावे तथा तहसीलदार टोडाभीम को आदेश प्रदान किया जावे कि वे उपरोक्तानुसार रेवेन्यु रिकॉर्ड जमाबंदी मे अमल करें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार टोडाभीम को तलब किया गया। तहसीलदार टोडाभीम ने इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि ग्राम अजीजपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 के खात संख्या 361 के ख0न0 1460/0.62, 1461/0.30, 1462/0.06, 1463/0.20 कुल किता 4 कुल रकवा 1.18 है0 बुद्दा पुत्र हरसहाय हिस्सा 1/2, हरसहाय पुत्र कन्हैया 1/2 के नाम दर्ज रिकार्ड है। नामांतकरण सख्या 137 दिनांक 25.12.1963 के द्वारा साबिक ख0न0 722/6 रकवा 4 बीघा 13 विस्वा भूमि को जलधारी वल्द लालजी कौम मीना द्वारा हरसहाय वल्द कन्हैया व बुद्दा बल्द नत्था मीना सा.देह मण्डेरू को बेचान किया गया था। जमाबन्दी सम्वत 2020–23 के खाता सख्या 218 मे लिपिकीय भूल से हरलाल पुत्र कन्हैया व बुद्दा पुत्र हरसहाय के नाम दर्ज हो गया मिलान क्षेत्रफल

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला–करौली

सम्वत 2043-62 मे साबिक ख0न0 722/6 से नवीन ख0न0 1460, 1461, 1462, 1463 बनाये गये है जो सही है अतः साबिक रिकार्ड अनुसार शुद्ध किया जाना उचित है। बहस मे उभरकर आये तथ्यो पर वादी वकील को हरसहाय पुत्र कन्हैया मीना निवासी अजीजपुर को पक्षकार बनाये जाने के निर्देश देने पर वादीया वकील ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 पेश किया जिसे बाद सुनवाई स्वीकार करने पर वादीया वकील ने संशोधित टाईटल पेश किया। इसके पश्चात वादीया वकील ने प्रार्थना पत्र इस आशय से पेश किया कि प्रतिवादी न0 2 हरसहाय फौत हो चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी न0 2 हरसहाय के नाम के सामने मृतक शब्द दर्ज करने के आदेश दिये गये। वादीया वकील ने वादपत्र के समर्थन मे सुगन पुत्र कन्हैया निवासी मण्डैरू का शपथ पत्र पेश किया कि बुद्दा पुत्र हरसहाय का नाम भूलवश दर्ज हो गया है जबकि सही नाम बुद्दा पुत्र नत्था है नामांतकरण भी बुद्दा पुत्र नत्था के नाम ही खोला है बुद्दा मेरा खास काका लगता है।

वादीया वकील ने बहस मे कथन किया कि ग्राम अजीजपुर के नामांतकरण सख्या 137 मे आराजी ख0न0 722/6 रकवा 4 बीधा 13 बिस्वा का विकय पत्र के आधार पर नामांतकरण हरसहाय पुत्र कन्हैया एवं बुद्दा पुत्र नत्था कौम मीना हिस्सा बराबर के नाम स्वीकार हुआ है। जमाबन्दी सम्वत 2020-23 तैयार करते समय हरसहाय पुत्र कन्हैया व बुद्दा पुत्र हरसहाय मीना हि.ब. दर्ज कर दिया। यह लिपिकीय त्रुटी हुई है। इसलिये नवीन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2076-79 के खाता संख्या 361 के ख0न0 1460/0.62, 1461/0.30, 1462/0.06, 1463/0.20 कुल किता 4 कुल रकवा 1.18 है0 मे बुद्दा पुत्र नत्था नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादी वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो एवं तहसीलदार टोडाभीम की और से प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया नामांतकरण सख्या 137 के ख0न0 722/6 रकवा 4 बीधा 13 बिस्वा के विकय के बाद नामांतकरण हरसहाय पुत्र कन्हैया और बुद्दा पुत्र नत्था कौम मीना सा.देह हिस्सा बराबर के नाम दिनांक 15.12.63 को स्वीकार हुआ है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043-62 ग्राम अजीजपुर साबिक ख0न0 722/6 मिन. रकवा 4 बीधा 13 बिस्वा से नवीन ख0न0 1460/0.62, 1461/0.30, 1462/0.06, 1463/0.20 बनाये गये है। बर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2076-79 मे उक्त खसरा नम्बरान बुद्दा पुत्र हरसहाय हिस्सा 1/2 व हरसहाय पुत्र कन्हैया हिस्सा 1/2 जाति मीना सा.देह के नाम खातेदारी दर्ज है। तहसीलदार टोडाभीम ने भी प्रस्तुत रिपोर्ट मे उक्त तथ्यो का ही वर्णन किया है। यह अंकित किया है कि सम्वत 2020-23 के खाता संख्या 218 मे लेखनीय भूल से हरसहाय पुत्र कन्हैया व बुद्दा पुत्र हरसहाय के नाम दर्ज हो गया है। जिसे साबिक रिकार्ड नामांतकरण के अनुसार हाल खसरा नम्बरान मे बुद्दा पुत्र हरसहाय के स्थान पर बुद्दा पुत्र नत्था किये जाने की अनुशंषा की है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया का दावा स्वीकार किया जाना उचित पाता हूँ।

अतः ग्राम अजीजपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076-79 के खाता संख्या 361 की आराजीयात ख0न0 1460/0.62, 1461/0.30, 1462/0.06, 1463/0.20 कुल किता 4 कुल रकवा 1.18 है0 मे दर्ज नाम बुद्दा पुत्र हरसहाय हिस्सा 1/2 के स्थान पर बुद्दा पुत्र नत्था हिस्सा 1/2 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

5/1/21
(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला करौली

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम जिला करौली